## मिल्क प्लांट घोटाला

# छोटी मछलियां पकड़ीं, मगरमच्छ छोड़ दिये

**रोहतक (म.मो.)** रोहतक मिल्क प्लांट में घोटाला, वित्तीय धांधलियां व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा ड्यूटी में लापरवाही काफी पहले से चलती आ रही है। लेकिन इसका पर्दाफाश तब हुआ जब सहकारी आडिट विभाग की टीम के इंस्पेक्टर राजमल डांगी ने वर्ष 2004-05 का वार्षिक ऑडिट किया। इस ऑडिट के दौरान उन्होंने पाया कि एक दर्जन ऐसी दुग्ध समितियां हैं जिनसे बिना दूध प्राप्त किये ही महीने में तीन बार और साल में 36 बार फर्जी पेमेंट की गई है। फर्जी पेमेंट पाने वाली समितियों में मुख्य हैं - सुनारियां दुग्ध समिति, महाराणा नांदल दुग्ध समिति, महिला रूखी दुग्ध समिति, मकड़ौली दुग्ध समिति, चांग पाना दुग्ध समिति, ओ पी फॉर्म दुग्ध समिति, राजबीर दुग्ध समिति आदि।

ऑडिट करने वाले अधिकारी ने इस बाबत जब पत्र लिख कर प्लांट के अधिकारियों से सारा रिकार्ड तलब करने को कहा तो भी अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बार-बार ऑडिट अधिकारी द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद उन्हें रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर ऑडिट अधिकारी ने इसकी जानकारी चीफ ऑडिटर व रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को दी, लेकिन रिकार्ड फिर भी उपलब्ध नहीं हो पाया। सरकार इस तरह के घोटालों के प्रति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि यह बात स्थानीय विधायक एवं मुख्यमंत्री तक पहुंचने में ढाई वर्ष लग गये। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, हरियाणा को एक नकली-सा आदेश दिया कि रोहतक मिल्क प्लांट के रिकार्ड का वर्ष 1.4.1998 से 31.3.2007 तक का स्पेशल ऑडिट कराया जाये।

मुख्य सचिव के आदेश पर रजिस्ट्रार ने अपने पत्र क्रमांक संख्या 268-72 दिनांक 31.1.2007 के तहत मिल्क प्लांट का वर्ष 1998-2007 तक स्पेशल ऑडिट कराने के लिए होशियार सिंह पूनिया, ऑडिट अफ़सर, पंचकूला के नेतृत्व में छः सदस्यीय टीम को स्पेशल ऑडिट कराने के लिए नियुक्त किया।

टीम ने 2004-05 के दौरान 82 लाख रुपये का गबन और लगभग तीन करोड़ 27 लाख रुपये की धांधलियां पाईं। इसके अलावा 47000 रुपये का दुरुपयोग करना भी पाया। ऑडिट अफ़सर होशियार सिंह ने 22 पेज की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पत्र क्रमांक नं. 68-69 दिनांक 31.5.2007 को चीफ ऑडिटर सहकारी विभाग, पंचकूला, प्रबंध निदेशक, हरियाणा डेयरी, पंचकूला व तत्कालीन सीईओ, मिल्क प्लांट रोहतक को सौंप दी।

इसके बाद टीम ने वर्ष 2002-03, 2003-04, 2005-06 की जांच की तो इन तीन वर्षों में 1 करोड़, 18 लाख, 58 हज़ार, 363 रुपये की फर्जी पेमेंट व गबन के मामले सामने आये। इसके अलावा 91 लाख 26 हज़ार 356 रुपये की वित्तीय धांधलियां पकड़ में आईं। ऑडिट अफ़सर ने इस घोटाले को सामने लाने वाली अपनी 187 पेज की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 103-104 दिनांक 19.7.2007 को चीफ ऑडिटर सहकारी विभाग हरियाणा, पंचकूला, प्रबंध निदेशक हरियाणा डेरी व मिल्क प्लांट के तत्कालीन सीईओ सुमन कुमार सैनी को सौंप दी। इस घोटाले की जानकारी मुख्यमंत्री एवं मुख्य प्रशासनिक सचिव हरियाणा को भी दी गई।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एम.डी. को यह आदेश जारी किये गये कि कि घोटाले में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई जाये। लेकिन इस संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश को भी धता बताते हुए एफआईआर नहीं दर्ज करवाई गई। मामले को फाइल में दबाये रखा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश केवल दिखावे के ही थे, वरना किसकी मजाल जो मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना कर जाये। जब काफी दबाव पड़ा तो कुछ छोटे कर्मचारियों सुदेश कुमार, संदीप सैनी एवं ओमप्रकाश धौड़ के विरुद्ध थाना शहर रोहतक में 25.10.2007 को मुकदमा नंबर-565 दर्ज करवा कर पूर्व कार्यकारी अधिकारी मिल्क प्लांट (रोहतक) सुमन सैनी ने अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री कर ली। उल्लेखनीय है कि सैनी के कार्यकाल वर्ष 2005 से 2008 के दौरान भी घोटालों को अंजाम दिया जाता रहा है, पर इस अवधि के रिकार्ड लगातार मांगे जाने पर भी ऑडिट को उपलब्ध नहीं करवाये गये। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस दौरान भी करोड़ों के घोटाले हुए होंगे। इस मामले में गिरफ़्तार किये गये कम्प्यूटर क्लर्क का कहना है कि मामले में उच्चाधिकारी संलिप्त हैं। यह बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है कि घोटाले में अधिकारियों का हाथ न हो। चेकों पर दस्तखत अधिकारियों के ही होते हैं, न कि क्लर्कों के। स्पष्ट है कि इस घोटाले में उच्चाधिकारी भी शामिल हैं जिसकी निष्पक्ष जांच-पड़ताल होनी चाहिए। अगर जांच-पड़ताल नहीं होती है तो समझा जायेगा कि कि लगातार इन घोटालों को बड़े अधिकारियों के संरक्षण में किया जा रहा है और उनका अच्छा-खासा हिस्सा-पत्ती इसमें रहा है। रोहतक मुख्यमंत्री का गृह ज़िला है। रोहतक उनका अक्सर आना-जाना लगा रहता है। अगर इस घोटाले का पूरा सच जनता के सामने नहीं आता और घोटालेबाजों को माकूल सजा नहीं होती तो जनता में सीधा संदेश जायेगा कि घोटालेबाजों को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है।

हालात को देखते हुए यह समझना कठिन नहीं है कि यह सारा घोटाला स्वयं मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है और यूं ही होता रहेगा, वरना जो सीइओ सैनी व एमडी स्वयं घोटालों में शामिल हो, उन्हीं को ऑडिट रिपोर्ट सौंपे जाने का क्या मतलब? इसके बाद रो-पीट कर दर्ज कराई गई एफआईआर का भी दब कर रह जाना सिद्ध करता है कि जब तक ये चोर-लुटेरे राज करेंगे, घोटाले तो यूं ही होते रहेंगे।

## राष्ट्रमंडल खेलों के लिए

# हथियार जमा कराने का तुग़लकी फ़रमान

3 अक्टूबर से शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा के नाम पर सरकार ने एनसीआर में रहने वाले तमाम लाइसेंसी हथियार धारकों के लिए आदेश जारी किया है कि वे अपने-अपने हथियार निकट के थानों या पंजीकृत हथियार विक्रेताओं के पास 31 मार्च तक जमा करा दें, वरना उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

सर्वविदित है कि बड़ी कठिनाई व खर्चा करने के बाद किसी व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस मिलता है और लाखों रुपये खर्च कर के व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदता है। और उसे भी वह सात-आठ माह के लिए थाने में जमा करा दे तो फ़िर उसे हथियार व उसके लाइसेंस लेने की जरूरत ही क्या थी? इतना ही नहीं, जब कभी कोई भी चुनाव हो, तो भी हथियार जमा कराने पड़ते हैं और चुनाव तो इस देश में कोई न कोई होता ही रहता है, कभी संसद का तो कभी विधानसभा का तो कभी नगर निगम का तो कभी ज़िला परिषद् व पंचायत आदि का।

यह भी विदित है कि देश के प्रत्येक नागरिक के जान-माल की सुरक्षा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है जिसमें वह पूरी तरह विफल है। अपने इस संवैधानिक दायित्व की सीमा सरकार ने केवल वीआईपी लोग़ों तक ही सीमित कर रखी है, केवल उन्हीं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार अपनी सारी ताकत झोंक देती है। जहां प्रधानमंत्री स्तर के लोग़ों की सुरक्षा पर 150 करोड़ वार्षिक का खर्च होता है, वहां विधायक व सांसद आदि को भी सुरक्षा के नाम पर चार-छः सशस्त्र पुलिसिये तैनात कर ही दिये जाते हैं। छुटभैये नेता भी जैसे-तैसे कर के अपने लिए एक आध गनमैन का जुगाड़ कर ही लेते हैं। ऐसे में जब आम आदमी की सुरक्षा पूर्णतया चोरों, लुटेरों व डाकुओं के भरोसे चल रही हो तो थोड़ा सा संपन्न व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं करने के उद्देश्य से यदि लाइसेंसी हथियार रख लेता है तो इससे भी सरकार को तकलीफ़ होती है। सरकार को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपराधिक वारदातों में आम तौर पर लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता, जो थोड़ा-बहुत होता भी है, वह राजनैतिक आकाओं की सिफ़ारिश पर अपराधी तत्वों को दिये गये हथियारों से ही होता है। और ऐसे अपराधी तत्वों को खोजने तक की भी पुलिस को जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही पुलिस की निगाह में रहते हैं। पुलिस इस तरह के लोग़ों से हथियार जमा कराने की अपेक्षा उन सब लोग़ों के हथियार जमा करा रही है जिन्होंने आज तक अपने हथियार से एक चिड़िया तक भी नहीं मारी और न ही कभी मार सकते। उन्हें तो अपने पास हथियार रहने मात्र से ही एक सुरक्षा का आभास रहता है। उन्हें झूठा या सच्चा एक भरोसा रहता है कि उनके पास बंदूक है तो वे जरूरत पड़ने पर किसी भी हमलावर तत्व से निपट लेंगे। आम तौर पर यह देखा गया है कि जिस घर में हथियार होते हैं, वहां छोटा-मोटा अपराधी घुसने से कतराता है।

कहने की जरूरत नहीं कि 90 प्रतिशत से अधिक वारदातों में ग़ैरलाइसेंसी हथियारों का ही प्रयोग होता है। वास्तव में जिन लोग़ों को आपराधिक गतिविधियों के लिए हथियार चाहिए होते हैं, वे लाइसेंसों के चक्कर में पड़ते ही नहीं, क्योंकि एक तो लाइसेंस बनवाना कठिन और दूसरे लाइसेंसी हथियार की कीमत बहुत ज्यादा होती है। जानकारों के मुताबिक जो लाइसेंसी हथियार दो-ढाई लाख का दुकानों से मिलता है, वही हथियार अवैध रूप से 20-30 हज़ार में आसानी से खरीदा जा सकता है। फ़िर जिसने वारदात करनी हो, उसे लाइसेंस की ज़रूरत ही क्या है?

दरअसल, लाइसेंसी हथियार जमा करा कर सरकार यह जताना चाहती है कि वह राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा के प्रति कितना गंभीर है। यदि कल को कोई वारदात हुई भी तो पुलिस झट से कह देगी कि उन्होंने अपनी तरफ़ से पूरी मुस्तैदी बरती थी, फ़िर भी वारदात हो गई तो वह क्या करे। सुरक्षा के लिए बेहतर होता यदि पुलिस तमाम गैरलाइसेंसी एवं अवैध हथियारों को जमा कराती। परंतु यह दिन-ब-दिन नाकारा होती जाती पुलिस के वश का नहीं।

## यातायात व्यवस्था में कोई सुधार नहीं

# रोड सेफ्टी आर्गनाइजेशन में घुसे हैं लूटने-खाने वाले

**करनाल (जेके-पीके)** हरियाणा पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) विकास नारायण राय ने हरियाणा के शहरों एवं कस्बों में बढ़ती यातायात की समस्या को हल करने के लिए यातायात पुलिस एवं नागरिकों की एक संयुक्त संस्था का गठन किया ताकि यातायात की समस्याओं का आम जन के साथ मिल-जुल कर हल किया जाये। हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन में कई बार पुलिस महानिदेशक इस समस्या की जटिलताओं से रू-ब-रू हुये तथा मौके पर ही उन्हें सुलझाने का निर्देश यातायात पुलिस अधीक्षक डॉ. राजश्री को दिये। इसके बाद रोड सेफ्टी आर्गनाइजेशन के नाम से एक संस्था का गठन किया गया जिसमें शहर के कुछ चुनिंदा लोग़ों को शामिल किया गया ताकि यातायात व्यवस्था में आ रही परेशानियों को पुलिस जनता की नज़रिये से समझ सके। कुछ दिनों तक तो यह सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन संस्था की कामयाबी को देखते हुए चापलूस व अपराधी प्रवृत्ति के लोग़ इसमें भर्ती होते चले गये और इन्होंने पुलिस अधिकारियों से मेलजोल बढ़ा लिया और रौब गांठना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन लोग़ों ने शहर के हर चौराहे पर पुलिस अधिकारियों के साथ अपना फोटो लगा विज्ञापन बोर्ड लगवा लिया। उन्होंने अखबारों में भी फोटो सहित विज्ञापन लगवा कर अपने आप को महिमा मंडित करने में मशगूल हो गये तथा महानिदेशक महोदय को यह संदेश भिजवा दिया कि शहर की यातायात व्यवस्था चुटकियों में हल हो गई है। इसके बाद स्थिति को देख कर महानिदेशक महोदय ने भी बैठक लेने से परहेज कर लिया। आज वास्तविकता यह है कि यातायात की समस्या फिर वहीं की वहीं खड़ी है। न ये सामाजिक कार्यकर्ता ही सुधरे और न यातायात पुलिस। सब कुछ पहले वाले ढर्रे पर चल रहा है। संस्था में घुसे पदाधिकारी अपने नजदीकी लोग़ों को ही संस्था का सदस्य बनाते हैं ताकि कोई विरोध न हो। करनाल शहर में अगर यातायात की समस्या को देखा जाये तो इसी संस्था के पदाधिकारियों की दुकानों के सामने ही सबसे बड़ा जाम लगा दिखाई पड़ेगा। संस्था के पदाधिकारी विपिन शर्मा की दुकान के सामने दर्जनों गाड़ियां व रेहड़ियां सड़क रोक कर खड़ी रहती हैं। नेहरू पैलेस मे तनेजा खुद किराया लेकर रेहड़ियां लगवाता है। सतपाल ताले वाले ने तो अपनी दुकान के सामने फड़ी लगवाई हुई है। यातायात पुलिस नगरपालिका कर्मचारियों के साथ मिल कर अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों का सामान और गाड़ियां उठाने के काम पर लगा हुआ है, लेकिन इन तथाकथित पदाधिकारियों के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारियों के साथ मेलजोल का प्रभाव छोटे कर्मचारियों पर भारी पड़ जाता है और इसकी आड़ में छोटे कर्मचारी दूसरे दुकानदारों से पैसे भी ऐंठ लेते हैं। स्थानीय सुभाष मार्किट में यातायात की समस्या ज्यों की त्यों है, क्योंकि यहां सड़क पर जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वह 70 से 80 गाड़ियों की है। साथ ही इन दुकानदारों के पास अपनी गाड़ियां भी लगभग इतनी हैं जो सुबह से इस पार्किंग में खड़ी होती हैं। दिन भर आने वाले ग्राहक सड़क पर ही खड़ी करते हैं जिससे सारा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। रोड सेफ्टी आर्गनाइजेशन के कई सदस्य इस मार्किट से हैं, इसलिए पुलिस कर्मचारी भी इसे अनदेखा कर देते हैं। आम जनता भी इनके प्रभाव में आ जाती है कि जिन्हें शिकायत करनी है, ये गाड़ियां उन्हीं की हैं। इस संस्था में सभी लगभग वही हैं जो समाचार पत्रों में अपने चेहरे छपवाने के लिए अख़बारों के कार्यालयों में चक्कर लगाते रहते हैं। ये किसी न किसी तरीके से सरकारी अफ़सरों से सांठगांठ कर जनता का पैसा डकारने की फिराक में रहते हैं। ये शहर में कई जगहों पर खाली पड़ी जमीन में पार्किंग के नाम पर पैसा उगाह रहे हैं जिसकी जानकारी मीडिया कर्मियों के माध्यम से उपायुक्त तक पहुंची और उपायुक्त महोदय ने तुरंत आदेश दे कर इस गिरोह को पैसे उगाहने से रोका।

अगर कोई निर्भीक व ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता इस संस्था का सदस्य बनना चाहे या इस संस्था की कार्य प्रणाली के बारे में पूछे तो मौजूदा सदस्य एक हो कर उसका विरोध करते हैं ताकि उनका वर्चस्व बना रहे।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06